

## निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (CRGFSLIH) के बारे में अक्सर पूछे

### जानेवाले प्रश्न

#### क. ऋणदाता संस्थानों की पात्रता, जिम्मेदारियां आदि

**1. इस योजना के अंतर्गत कौन से ऋणदाता संस्थान पात्र माने जाते हैं ?**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहर सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां(एबीएफसी)- सूक्ष्म वित्त संस्थान(एमएफआईज) राज्य सहकारिता समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त समितियां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों तथा समय समय पर न्यास के द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देशों के तहत पात्र संस्थान हो सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्देशित अन्य संस्थान भी पात्र हो सकते हैं।

**2. क्या गारंटी कवर(सुरक्षा) के लिए निजी क्षेत्र के बैंक या विदेशी बैंक पात्र हैं?**

हां, वशर्ते कि यह एक वाणिज्यिक बैंक हों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हों।

**3. इस योजना के तहत पात्र ऋण सुविधा के परिप्रेक्ष्य में गारंटी कवर के लिए पात्र ऋणदाता संस्थान कब आवेदन कर सकते हैं?**

न्यास उन आवास ऋणों को कवर करेगा जो पात्र ऋणदाता संस्थानों के द्वारा शहरी निम्न आय समूह के नए पात्र ऋणदाताओं को ऋण विस्तारित किया जाता है। जिन ऋणों की आवास ऋण के रूप अधिक सीमा 5 लाख ₹. तक होती है अथवा फिर जो बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के और/ अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना न्यास के साथ एक समझौते से आबद्ध होते हैं। इसमें शर्त यह है कि ऋणदाता संस्थान के ऋण प्रस्ताव तिमाही अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर- दिसंबर तथा जनवरी-मार्च की समाप्ति से पहले संवीकृत किए गए हैं तो उन्हें अगली तिमाही क्रमशः अर्थात् जुलाई-सितंबर, अक्टूबर- दिसंबर, जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून, को गारंटी कवर मिलेगी।

**4. ऋणदाता संस्थान कब गारंटी की याचना कब (इनवोक) कर सकते हैं?**

ऋणदाता संस्थान आवास ऋण के परिप्रेक्ष्य में गारंटी की याचना कर सकते हैं-

- i) अवरूद्धता(याचना) अवधि समाप्त होने के एक वर्ष के भीतर, अवरूद्धता अवधि समाप्त होने के पहले ऋण को गैर निष्पादक आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो, अथवा
- ii) यदि अवरूद्धता (याचना) अवधि समाप्त होने के बाद ऋण को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और एक वर्ष के भीतर ऋण को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो।

**5. क्या कोई अवरूद्धता अवधि थी जिस दौरान दावे को प्राथमिकता/विचार/चुकता नहीं किया जाएगा ?**

यहां पर 24 महीनों में एक ही अवरूद्धता अवधि होगी फिर चाहे वह ऋणदाता संस्थान के द्वारा उधारकर्ता हेतु ऋण संवितरण की अंतिम तिथि हो या फिर उस खास आवास ऋण के परिप्रेक्ष्य में गारंटी कवर लागू होने की तिथि हो अथवा

घर के निर्माण पूरा होने के बाद दो माह बाद की अवधि, जो भी पहले हो, माना जाएगा। ऋणदाता संस्थान कथोक्त अवरूद्धता अवधि के दौरान इस योजना के तहत दावा को प्राथमिकता नहीं देगा।

**6. क्या एक दावे की रसीद(पावती)पर निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CRGF/TLIH) पूरे दावे का निपटान कर देगा ?**

न्यास ऋणदाता संस्थान के द्वारा दावा याचना की मांग पर दावे के निपटान के लिए आवेदन करने के 60 दिन के भीतर ही 75 प्रतिशत गारंटीकृत राशि का भुगतान देगा, बशर्ते कि यह दावा सभी पहलुओं से परिपूर्ण एवं नियमानुसार पाया जाएगा। शेष गारंटीकृत राशि का 25 प्रतिशत भाग ऋणदाता संस्थान के द्वारा वसूली प्रक्रिया की समाप्ति किया जाएगा।

**ख- पात्र उधारकर्ता**

**1) इस योजना के तहत कवर किए जाने वाले पात्र उधार(ऋण)कर्ता कौन है ?**

पात्र ऋणकर्ता (ऋणपात्रता) का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की कमजोर आर्थिक वर्ग/निम्न आय वर्ग के नए या विद्यमान वैयक्तिक ऋणकर्ता है, जो 5 लाख रू. तक का आवास ऋण चाहते हैं या फिर वह राशि जिसे समय-समय पर ट्रस्ट (न्यास) द्वारा तय किया जाता है या आवास इकाई का आकार 430 वर्गफुट (40 वर्ग मीटर) कार्पेट क्षेत्र है तथा जिसे आवास ऋण अब बिना किसी जमानती प्रतिभूति और/या किसी तीसरे पक्ष की गारंटी के ऋणदाता संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। योग्य या पात्र ऋणकर्ता जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है इसमें कम से कम 20 सदस्यों द्वारा गठित समूह या आवास समिति भी इस योजना के तहत पात्र होंगे।

**2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी क्या है ?**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसकी वार्षिक आय 1,00,000/रू. तक हो या फिर समय-समय पर आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित किए गए मानदंड के अनुसार हो।

**3) निम्न आय समूह की श्रेणी क्या है ?**

निम्न आय समूह (एलआईजी) का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसकी वार्षिक आय 1,00,001/रू. से 2,00,000/रू. से तक हो या फिर समय-समय पर आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित किए गए मानदंड के अनुसार हो।

**4) वे कौन सी गतिविधियां हैं जो गारंटी कवर के लिए पात्र हैं ?**

गारंटी कवर के तहत आनेवाली गतिविधियों में गृह सुधार, निर्माण, अधिग्रहण(कब्जा) तथा नए या पुराने घर की खरीद आदि के आवास ऋण शामिल हैं, जिसकी ऋण राशि प्रति व्यक्ति 5.0लाख रू. से अधिक न हो। गृह नवीनीकरण/मरम्मत हेतु दिए गए पूर्णतः/अंशतः दिए गए ऋण इस योजना के तहत गारंटी कवर पात्र नहीं होते हैं।

**5) क्या यह अनिवार्य है कि एक ऋणकर्ता को पात्रता के लिए एक ही संस्थान से अपेक्षित ऋण सुविधा प्राप्त करनी चाहिए ?**

एक पात्र ऋणकर्ता अपना ऋण एक या एक से अधिक ऋणदाता संस्थान के पास अलग या संयुक्त रूप से प्राप्त कर सकता है किंतु यह अधिकतम ऋण 5.0 लाख रू. प्रति ऋणकर्ता हो सकता है और प्राथमिक प्रतिभूति ऋणदाता संस्थान के द्वारा वैयक्तिक ऋणकर्ता की अधिसीमित राशि भिन्न हो सकती है या ऐसी राशि न्यास के द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

**6) ऋणदाता संस्थान हेतु उधारकर्ता के द्वारा कोई घोषणा ?**

पात्र उधारकर्ता के द्वारा एक वचन पत्र ऋणदाता संस्थान के पास इस घोषणा के साथ जमा करना होगा कि उसने इस योजना के तहत किसी अन्य संस्थान से ऋण नहीं लिया है जो किसी अतिरिक्त जोखिम आवरण से आबद्ध हो, जो कि उसने किसी सरकार या किसी सामान्य बीमाकर्ता या किसी अन्य संस्थान या लोगों के संगठन द्वारा बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति के लिए लिया हो।

**ग-प्राथमिक प्रतिभूति की तुलना में संपार्श्विक प्रतिभूति की तुलना में तृतीय पक्ष गारंटी**

**1) प्राथमिक प्रतिभूति और संपार्श्विक प्रतिभूति के बीच क्या अंतर है ?**

प्राथमिक प्रतिभूति वह आस्ति है जो उधारकर्ता को विस्तारित ऋण सुविधा के आधार पर निर्मित की जाती है, जिसको ऋण सुविधा प्रदान की गई है। संपार्श्विक प्रतिभूति वे अन्य प्रतिभूतियां हैं जो प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा कथोक्त ऋण सुविधा के लिए प्रस्तावित की गई हैं।

**2) क्या ऋण सुविधा के लिए प्राप्त की गई कोई भी तृतीय पक्ष की गारंटी गारंटी कवर के लिए पात्रता प्रदान करेगी ?**

बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी तृतीय पक्ष की गारंटी नहीं प्राप्त की जानी चाहिए, यदि खाता ऋण गारंटी योजना के तहत कवर किया जाना है।

**घ) गारंटी शुल्क/सेवा शुल्क**

**1) गारंटी शुल्क क्या है ?**

कुल ऋण राशि की एकमुश्त गारंटी शुल्क 1.00 प्रतिशत की विशिष्टीकृत दर जो समय-समय पर न्यास के द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से अनुमोदन के बाद जैसा विशिष्टीकृत हुआ हो को ऋणदाता संस्थानके द्वारा आवास ऋणों के पहले संवितरण के 30 दिनों की अवधि के भीतर या फिर गारंटी शुल्क के मांग पत्र जारी होने के 30 दिनों में जो भी देरी से हो या फिर न्यास द्वारा स्पष्टीकृत की गई तिथि को प्राप्त गारंटी द्वारा न्यास को भुगतान किया जाएगा।

**2) गारंटी शुल्क को किस आधार पर परिकलित किया जाता है ?**

आवास ऋण पर गारंटी शुल्क को परिकलित करने का उद्देश्य एक ऋणदाता संस्थान के द्वारा एक ऋणकर्ता को प्रदान की गई प्रतिबद्ध वित्तीय सहायता की राशि से माना जाएगा। जो कि एक संसवीकृत ऋण राशि है, फिर चाहे यह राशि संवितरित की गई हो या नहीं।

- 3) क्या गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क को ऋणदाता के द्वारा उधारकर्ता को पारित की जाएगी ?  
गारंटी शुल्क को लाभार्थी से प्रारंभिक शुल्क के रूप में नहीं प्रभारित किया जाएगा। हालांकि गारंटी शुल्क का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रतिपूर्ति करने के लिए ब्याज दर में बदलाव कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रभारित अधिशुल्क को ऋणदाता संस्थान के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए।

### ड.) ऋण गारंटी – कवर विस्तार, याचना एवं दावा आदि

1. प्रत्येक पात्र उधारकर्ता पर ऋणकर्ता हेतु क्या गारंटी कैप (अधिसीमा) उपलब्ध है?

श्रेणी	आवास ऋण की मात्रा के अनुसार अधिकतम गारंटी व्याप्ति	
	अधिकतम 2.0 लाख रू या वह राशि जो समय-समय पर न्यास निर्धारित करता है।	2.0 लाख रू से अधिकतम 5.0 लाख रू. या वह राशि जो समय-समय पर न्यास निर्धारित करता है।
वैयक्तिक उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए आवास ऋण	संस्वीकृत राशि की 90 प्रतिशत अधिसीमा तक, राशि के चुकौती न होने के मामले में 90 प्रतिशत	संस्वीकृत राशि की 85 प्रतिशत अधिसीमा तक, राशि के चुकौती न होने के मामले में 85 प्रतिशत

2. ऋणदाता को गारंटी कवर के लिए कब आवेदन करना चाहिए?

पात्र ऋणदाता संस्थान को गारंटी कवर हेतु उन ऋण प्रस्तावों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्हें अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसंबर तथा जनवरी-मार्च की तिमाही में संस्वीकृत किया गया है इनके लिए निम्नांकित तिमाहियों- यथा-जुलाई-सितंबर, अक्तूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च तथा अप्रैल-जून हेतु क्रमशः अवधि समाप्ति से पहले दावा कर सकता है।

बशर्ते कि आगे इस तिथि पर ये बातें महत्वपूर्ण हैं-

- 1) ऋणदाता संस्थान के बकाये कर्ज वसूली के लिए अशोध्य या डूबंत ऋण न बन जाए; और /अथवा
- 2) वह परिसंपत्ति/आस्ति, जिस पर उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया गया है, को बंद/समाप्त (सीज्ड) न कर दिया गया हो; और /अथवा
- 3) न्यास से पहले किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त किए बिना, आवास ऋण को अंशतः या पूर्णतः किसी भी कर्ज जैसे कि अशोध्य या डूबंत ऋण की वसूली के लिए समायोजन हेतु इस्तेमाल न किया गया हो।
- 4) उधारकर्ता ने कथोक्त परिसंपत्ति के लिए आवश्यक शुल्क एवं प्रभारों को चुकता कर चुका हो।

3. पात्र ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर कब प्रारंभ हो जाएगी ?

गारंटी कवर उस दिन से प्रारंभ हो जाएगी, जिस तारीख पर न्यास के बैंक खाते में गारंटी शुल्क अग्रसर करा दी जाती है।

4. पात्र उधारकर्ता हेतु ऋण सुविधा बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में न्यास के द्वारा दी गई गारंटी को ऋणदाता कब याचित कर सकता है?

ऋणदाता चूककर्ता खाते के (डिफाल्ट) होने पर ऋण के आह्वान तथा उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई से दावे की पहल करेगा। हालांकि, ऋणदाता न्यास के द्वारा दी गई गारंटी की याचना 24 माह की अवरूद्धता(याचना) अवधि की

समाप्ति या फिर ऋणदाता संस्थान के द्वारा उधारकर्ता को ऋण संवितरण की तिथि या उस विशेष ऋण की गारंटी कवर के लागू होने सापेक्ष या आवास के निर्माण के पूरा होने के दो माह के बाद , जो भी इनमें से अंततः पूरा होता हो।

**5. खाता चूक होने की स्थिति में न्यास ऋणदाता हेतु दावा समायोजित होगा ?**

ऋणदाता के द्वारा अपनाए गए सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं से, गारंटी के लिए दावे के प्रस्तुतीकरण/ अधिमान्यता(वरियता) के बावत स्वतः संतुष्ट होने के पश्चात न्यास चुकता न हुई राशि के गारंटीकृत अंश का 75 प्रतिशत भाग चुकाएगा, शेष 25 प्रतिशत राशि वसूली प्रक्रिया के समापन के बाद चुकता किया जाएगा।

**6. विशेष उधारकर्ता खाता के परिप्रेक्ष्य में दावे के समायोजन (दावे की पहली किस्त जारी होने) के बाद क्या चूककर्ता ऋण की वसूली प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या न्यास जिम्मेदारी ले लेगा?**

नहीं, ऋणदाता संस्थान आगे भी निरंतर जिम्मेदार रहेगा और उधारकर्ता को दिए गए ऋण की वसूली के लिए उससे सभी वसूली प्रयास करेगा, जिसने चूक की है, चाहे भले ही न्यास से दावे का प्रारंभिक समायोजन हो चुका हो।

**7. क्या योजना के अंतर्गत गारंटी की याचना करने हेतु चूककर्ता इकाई के लिए सरफेसाई(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन), अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करना पर्याप्त है?**

नहीं, केवल सरफेसाई(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन), अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करने मात्र से सीजीएस के तहत दावे का अधिमान उद्देश्य हेतु एक कानूनी कार्रवाई का प्रारंभ तैयार नहीं किया जा सकता है। ऋणदाता संस्थानों को इसके आगे कार्रवाई करनी चाहिए जैसा कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) में बताया गया है।

**8. इस योजना के अंतर्गत कौन से आवास ऋण उपयुक्त पात्र नहीं हैं ?**

इस योजना के अंतर्गत गारंटीकृत किए जाने हेतु निम्नांकित आवास ऋण उपयुक्त पात्र नहीं हैं:

- I. कोई भी आवास ऋण, जिसका जोखिम अतिरिक्त रूप से सरकार या सामान्य बीमाकर्ता या किसी संस्थान या किसी व्यक्ति या बीमा, गारंटी या क्षतिपूर्ति का व्यवसाय चलाने वाले वैयक्तिक संगठन के द्वारा आवृत(कवर) न हो।
- II. किसी भी उधारकर्ता का कोई भी आवास ऋण, जिसने इस योजना की धारा (1) के अनुसार वर्णित योजनाओं के तहत स्वयं ही अपने आवास ऋण लिया हो और वहां पर ऋणदाता संस्थान ने न्यास या योजना के तहत धारा(1) के द्वारा उपलब्ध कराई गई गारंटी को याचित किया हो , लेकिन बकाए राशि के अनुसार न्यास या योजना के तहत धारा(1) के द्वारा अंशतः या पूर्णतः राशि का भुगतान नहीं किया गया हो जो कि किसी भी कारण से आवास ऋण के सापेक्ष उधारकर्ता की ओर से चूक कर्ता रहा हो।
- III. कोई भी आवास ऋण जो एक ऋणदाता संस्थान के द्वारा किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति और/ अथवा तृतीय(अन्य) पक्ष से गारंटीकृत होने पर संस्वीकृत किया गया हो।
- IV. कोई भी आवास ऋण जो कि ऋणदाता संस्थान के द्वारा पात्र श्रेणी के ऋण पर लागू होने वाली विद्यमान ब्याज दर से अधिक पर संस्वीकृत किया गया हो या जहां पर बेस रेट लागू हो और उपयोज्य बेस दर से 2 प्रतिशत अधिक हो, जो भी बेहतर लागू हो।

## च) कानूनी कार्रवाई, एकमुश्त निपटान( ओटीएस) आदि

### 1. वसूली कार्रवाई के समापन से क्या तात्पर्य है?

वसूली कार्रवाई के समापन को इस तरह वर्णित किया जाएगा जैसे कि डिक्री को प्रवर्तित करना और ऋणदाता संस्थान के द्वारा वसूली प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया हो।

### 2. वसूली कार्रवाई के कानूनी व्यय कौन वहन करेगा, ऋणदाता संस्थान या उधारकर्ता या निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CRGFTLIH) ?

प्रारंभ में कानूनी व्यय ऋणदाता संस्थान के द्वारा वहन किए जाएंगे। वसूली कार्रवाई के विप्रेषण के समय पर ऋणदाता संस्थान के द्वारा (CRGFTLIH) निधि न्यास के साथ अंतिम निपटान में उक्त को काटा जा सकता है।

## छ. गारंटी आवेदन पत्र/शुल्क को जमा कराना

### 1. निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CRGFTLIH) को पात्र खातों की रिपोर्ट कैसे करें ?

गारंटी आवेदन पत्र तथा अनुलग्नक को रा.आ.बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) से नया क्या है(व्हाट्स न्यु) सेक्शन से अपलोड किया जा सकता है। जो ऋणदाता संस्थान इस ऋण जोखिम कवर की सुविधा प्राप्त करना की इच्छा रखते हैं , वे इस आवेदनपत्र एवं अनुलग्नक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपक्षित गारंटी शुल्क के साथ पात्र आवास ऋण खातों के विवरण भर कर अग्रेषित कर सके हैं।

### 2. गारंटी शुल्क कैसे संप्रेषित करें ?

गारंटी शुल्क को केवल ईलैक्ट्रॉनिक मोड से निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CRGFTLIH) के खाते में संप्रेषित करना है। निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CRGFTLIH) के खाते में का विवरण उन ऋणदाता संस्थानों को तब अग्रेषित कर दिए जाएंगे, जब उनके साथ न्यास और ऋणदाता संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो जाएगा।

### 3. क्या सदस्य ऋणदाता संस्थानों की शाखाएं गारंटी आवेदन पत्र एवं शुल्क को सीधे निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(CRGFTLIH) को अग्रेषित कर सकती हैं?

नहीं, गारंटी आवेदन पत्र एवं गारंटी शुल्क को सीधे निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(CRGFTLIH) को अग्रेषित करने के लिए ऋणदाता संस्थान के केवल प्रधान कार्यालय ही अधिकृत हैं।

### 4. निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास(CRGFTLIH) को गारंटी आवेदन पत्र अग्रेषित करने की संबंधित रूपात्मकताएं क्या हैं ?

गारंटी आवेदन पत्र के साथ अनुलग्नक को सेट्स के रूप में निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CRGFTLIH) को अग्रेषित करना है। ऋणदाता संस्थान के द्वारा प्रत्येक सेट को क्रमबद्ध ढंग से संख्या देना एवं

अनरक्षित करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र ऋणों के बारे में ‘‘अनुल्नक’’ में बताए गई जरूरी अपेक्षित जानकारी के साथ गारंटी आवेदन पत्र को अग्रेषित करना है।

## ज. परिभाषाएं

### 1. क्या यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों के लागू हैं?

हां, ऋण जोखिम गारंटी निधि (सीआरजीएफ) योजना शहरी क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले पात्र आवास ऋणों पर ही लागू है। शहरी क्षेत्रों के तहत इसकी व्याप्ति(दायरे) में सांविधिक नगर, शहरी संचित एवं नियोजित क्षेत्र आ सकते हैं।

### 2. सांविधिक(वैधानिक) नगर क्या हैं?

नगरपालिका, नगरनिगम, छावनी क्षेत्र या नगर क्षेत्र कमेटी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र आदि जैसी जगहें इसमें आती हैं। इस श्रेणी में आनेवाली इकाईयां सांविधिक (वैधानिक) नगर के रूप में जाने जाते हैं। इन नगरों को संबंधित राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों; जैसे कि नगर निगम, महानगरपालिकाएं, महानगर कमेटियों आदि उनके जनसांख्यिकीय स्वरूप के सापेक्ष जैसा कि 31 दिसंबर, 2009 में गिनती के द्वारा पाया गया, उदाहरणार्थ : बडोदरा (नगर निगम) , शिमला(नगर निगम); आदि के अंतर्गत कानून के तहत अधिसूचित किया गया है।

### 3. शहरी संचित क्षेत्र(एगगलोमेरेशन) क्या है?

एक शहरी संचित क्षेत्र एक निरंतर शहर विस्तार है जिसमें एक नगर और उसके आस पास का बढ़ता आबादी क्षेत्र या दो या दो से अधिक भौतिक रूप से एक साथ संघनित या अलग-अलग कस्बे आते हैं। इस शहरी संचित क्षेत्र में निश्चित रूप से कम से कम एक सांविधिक नगर समाहित होना चाहिए और उसकी जनसंख्या (एक साथ मिलाकर कम से कम) जनगणना-2001 के अनुसार 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। विभिन्न स्थानीय दशाओं में यहां पर ऐसी ही कुछ अन्य संयोजन होने चाहिए, जिसे शहरी संचित क्षेत्र के रूप में मानते हुए संतोषजनक आधार भूत सामीप्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए बृहत् मुंबई शहरी विस्तार(संचित क्षेत्र), दिल्ली शहरी विस्तार(संचित क्षेत्र) आदि ।

### 4. नियोजन क्षेत्र क्या है?

नियोजन क्षेत्र का मतलब एक नियोजन क्षेत्र या एक विकास क्षेत्र या एक स्थानीय नियोजन क्षेत्र या एक क्षेत्रीय विकास नियोजन क्षेत्र या फिर किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला क्षेत्र अथवा उपयुक्त सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य क्षेत्र जो नियोजित भावी विकास के लिए नगर एवं शहर नियोजन से संबद्ध कानून के तहत निर्दिष्ट किए गए हों।